

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर**  
 (जी.3 राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम जयपुर)  
 टेलीफ़ैक्स 0141-2222403, ईमेल-dlb.lsg@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-प.1(ग)( )का/एस.एम.ई-3/डी.एल.बी./स.भर्ती/23/8731 दिनांक:-06/10/2023

**नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या**  
**02/2023**

राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 एवं समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 09.06.2023 द्वारा राज्य की 176 नगरीय निकायों के लिए निकायवार विज्ञापित सफाई कर्मचारियों के कुल 13025 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक, निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन (Online Application Form) आमंत्रित किये गये थे।

विभागीय आदेश क्रमांक 8111 दिनांक 06.10.2022 द्वारा राज्य की नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के 11772 नवीन पदों के सृजन उपरान्त विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 09.06.2023 की निरन्तरता में ही राज्य की 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित सफाई कर्मचारी के कुल 24797 (13025+11772) रिक्त पदों का निकायवार संशोधित वर्गीकरण निम्न प्रकार से अधिसूचित किया जाकर पुनः इच्छुक, निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन (Online Application Form) दिनांक 16.10.2023 से दिनांक 04.11.2023 रात्रि 23:59 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं:-

| क्र.स. | नगरीय निकाय    | पूर्व में विज्ञापित रिक्त पद | नवीन रिक्त पद |
|--------|----------------|------------------------------|---------------|
| 1      | जयपुर ग्रेटर   | 3670                         | 3670          |
| 2      | जयपुर हैरिटेज  | 108                          | 707           |
| 3      | चौमु           | 46                           | 171           |
| 4      | सांभर          | 45                           | 59            |
| 5      | चाकसू          | 47                           | 64            |
| 6      | कोटपूतली       | 67                           | 143           |
| 7      | फुलेरा         | 9                            | 63            |
| 8      | जोबनेर         | 57                           | 57            |
| 9      | किशनगढ़-रेनवाल | 30                           | 68            |
| 10     | शाहपुरा        | 14                           | 107           |
| 11     | विराटनगर       | 0                            | 57            |
| 12     | बगरू           | 33                           | 112           |
| 13     | सीकर           | 107                          | 577           |
| 14     | फतेहपुर        | 5                            | 237           |
| 15     | लक्ष्मणगढ़     | 1                            | 90            |
| 16     | रामगढ़         | 10                           | 42            |
| 17     | श्रीमाधोपुर    | 9                            | 46            |
| 18     | नीम का थाना    | 3                            | 66            |

|    |             |     |     |
|----|-------------|-----|-----|
| 19 | खण्डेला     | 27  | 56  |
| 20 | रींगस       | 7   | 91  |
| 21 | लोसल        | 0   | 84  |
| 22 | झुन्झुनू    | 48  | 284 |
| 23 | नवलगढ       | 35  | 175 |
| 24 | चिडावा      | 42  | 125 |
| 25 | बिसाऊ       | 7   | 72  |
| 26 | बगड         | 0   | 35  |
| 27 | खेतडी       | 2   | 24  |
| 28 | मण्डावा     | 0   | 70  |
| 29 | मुकुन्दगढ   | 16  | 41  |
| 30 | सूरजगढ      | 11  | 60  |
| 31 | पिलानी      | 4   | 96  |
| 32 | उदयपुरवाटी  | 0   | 86  |
| 33 | विद्याविहार | 15  | 46  |
| 34 | दौसा        | 31  | 198 |
| 35 | लालसोट      | 9   | 87  |
| 36 | बांदीकुई    | 3   | 99  |
| 37 | अलवर        | 84  | 719 |
| 38 | खेरली       | 12  | 13  |
| 39 | राजगढ(अलवर) | 11  | 37  |
| 40 | खैरथल       | 43  | 104 |
| 41 | तिजारा      | 23  | 75  |
| 42 | बहरोड       | 4   | 70  |
| 43 | भिवाडी      | 130 | 347 |
| 44 | भरतपुर      | 67  | 410 |
| 45 | बयाना       | 47  | 104 |
| 46 | डीग         | 57  | 76  |
| 47 | कामां       | 50  | 82  |
| 48 | नदबई        | 8   | 53  |
| 49 | वैर         | 4   | 39  |
| 50 | कुम्हेर     | 32  | 61  |
| 51 | भुसावर      | 16  | 55  |
| 52 | नगर         | 18  | 63  |
| 53 | धौलपुर      | 251 | 333 |
| 54 | बाडी        | 10  | 194 |
| 55 | राजाखेडा    | 68  | 89  |
| 56 | सवाईमाधोपुर | 57  | 258 |

|    |                   |     |     |
|----|-------------------|-----|-----|
| 57 | गंगापुरसिटी       | 315 | 315 |
| 58 | करोली             | 38  | 229 |
| 59 | हिण्डौनसिटी       | 307 | 328 |
| 60 | टोडाभीम           | 1   | 51  |
| 61 | अजमेर             | 328 | 650 |
| 62 | ब्यावर            | 177 | 177 |
| 63 | किशनगढ़           | 81  | 81  |
| 64 | केकडी             | 64  | 74  |
| 65 | पुष्कर            | 68  | 68  |
| 66 | सरवाड             | 16  | 47  |
| 67 | विजयनगर           | 70  | 70  |
| 68 | टोंक              | 130 | 248 |
| 69 | निवाई             | 31  | 33  |
| 70 | मालपुरा           | 8   | 96  |
| 71 | देवली             | 17  | 17  |
| 72 | टोडारायसिंह       | 13  | 49  |
| 73 | उनियारा           | 3   | 15  |
| 74 | भीलवाडा           | 148 | 246 |
| 75 | शाहपुरा(भीलवाड़ा) | 37  | 45  |
| 76 | गंगापुर           | 6   | 41  |
| 77 | जहाजपुर           | 6   | 13  |
| 78 | आसीन्द            | 11  | 29  |
| 79 | गुलाबपुरा         | 17  | 51  |
| 80 | माण्डलगढ          | 21  | 24  |
| 81 | नागौर             | 0   | 160 |
| 82 | लाडनूं            | 28  | 50  |
| 83 | मेडतासिटी         | 68  | 68  |
| 84 | मकराना            | 53  | 231 |
| 85 | कुचामनसिटी        | 24  | 71  |
| 86 | डीडवाना           | 16  | 100 |
| 87 | परबतसर            | 25  | 25  |
| 88 | नांवा             | 18  | 48  |
| 89 | कुचेरा            | 14  | 65  |
| 90 | मूण्डवा           | 0   | 34  |
| 91 | उदयपुर            | 407 | 407 |
| 92 | फतेहनगर           | 12  | 12  |
| 93 | भीण्डर            | 14  | 14  |
| 94 | कानोड             | 21  | 21  |



|     |               |     |     |
|-----|---------------|-----|-----|
| 95  | सलूम्वर       | 11  | 12  |
| 96  | राजसमन्द      | 50  | 50  |
| 97  | नाथद्वारा     | 38  | 38  |
| 98  | आमेट          | 1   | 24  |
| 99  | देवगढ़        | 18  | 18  |
| 100 | बांसवाडा      | 89  | 89  |
| 101 | कुषलगढ        | 20  | 20  |
| 102 | झंगरपुर       | 36  | 58  |
| 103 | सागवाडा       | 13  | 13  |
| 104 | चित्तौडगढ     | 156 | 156 |
| 105 | निम्बाहेडा    | 104 | 104 |
| 106 | बडी सादडी     | 24  | 24  |
| 107 | कपासन         | 24  | 24  |
| 108 | वैगू          | 21  | 22  |
| 109 | रावतभाटा      | 0   | 63  |
| 110 | प्रतापगढ      | 44  | 58  |
| 111 | छोटी सादडी    | 17  | 22  |
| 112 | जोधपुर उत्तर  | 239 | 345 |
| 113 | जोधपुर दक्षिण | 389 | 417 |
| 114 | फलौदी         | 70  | 70  |
| 115 | पीपाडशहर      | 47  | 74  |
| 116 | बिलाडा        | 63  | 63  |
| 117 | जैसलमेर       | 42  | 138 |
| 118 | पोकरण         | 87  | 87  |
| 119 | सिरोही        | 54  | 55  |
| 120 | आबूपर्वत      | 34  | 34  |
| 121 | आबूरोड        | 47  | 124 |
| 122 | शिवगंज        | 3   | 3   |
| 123 | पिण्डवाडा     | 23  | 23  |
| 124 | पाली          | 296 | 296 |
| 125 | सोजत सिटी     | 104 | 104 |
| 126 | सादडी         | 13  | 63  |
| 127 | बाली          | 17  | 25  |
| 128 | तख्तगढ        | 32  | 32  |
| 129 | सुमेरपुर      | 87  | 87  |
| 130 | जैतारण        | 64  | 64  |
| 131 | खुडाला फालना  | 4   | 55  |
| 132 | रानी          | 52  | 55  |



|     |              |     |      |
|-----|--------------|-----|------|
| 133 | जालौर        | 98  | 98   |
| 134 | सांचैर       | 78  | 78   |
| 135 | भीनमाल       | 26  | 65   |
| 136 | बाडमेर       | 140 | 140  |
| 137 | बालोतरा      | 85  | 85   |
| 138 | बीकानेर      | 121 | 1037 |
| 139 | देशनोक       | 46  | 46   |
| 140 | नोखा         | 102 | 102  |
| 141 | श्रीडूंगरगढ  | 129 | 247  |
| 142 | श्रीगंगानगर  | 95  | 306  |
| 143 | रायसिंहनगर   | 13  | 13   |
| 144 | गजसिंहपुर    | 9   | 9    |
| 145 | श्रीकरणपुर   | 30  | 30   |
| 146 | अनूपगढ       | 80  | 80   |
| 147 | सादुलषहर     | 11  | 20   |
| 148 | सूरतगढ       | 94  | 94   |
| 149 | पदमपुर       | 21  | 24   |
| 150 | केसरीसिंहपुर | 5   | 16   |
| 151 | हनुमानगढ     | 116 | 116  |
| 152 | नोहर         | 11  | 11   |
| 153 | पीलीबंगा     | 39  | 39   |
| 154 | भादरा        | 39  | 39   |
| 155 | संगरिया      | 47  | 47   |
| 156 | रावतसर       | 60  | 79   |
| 157 | चूरू         | 20  | 307  |
| 158 | रतनगढ        | 25  | 114  |
| 159 | सुजानगढ      | 143 | 303  |
| 160 | सरदारषहर     | 45  | 193  |
| 161 | राजगढ (चूरू) | 65  | 112  |
| 162 | छापर         | 16  | 29   |
| 163 | बीदासर       | 32  | 67   |
| 164 | राजलदेसर     | 10  | 33   |
| 165 | तारानगर      | 18  | 50   |
| 166 | रतननगर       | 12  | 33   |
| 167 | कोटा उत्तर   | 0   | 448  |
| 168 | कोटा दक्षिण  | 160 | 836  |
| 169 | कैथून        | 24  | 40   |
| 170 | सांगोद       | 24  | 27   |

|     |             |       |       |
|-----|-------------|-------|-------|
| 171 | रामगंजमण्डी | 21    | 58    |
| 172 | बांरा       | 0     | 158   |
| 173 | छबडा        | 17    | 41    |
| 174 | मांगरोल     | 19    | 36    |
| 175 | अन्ता       | 3     | 53    |
| 176 | झालावाड     | 68    | 80    |
| 177 | भवानीमण्डी  | 24    | 36    |
| 178 | झालरापाटन   | 10    | 10    |
| 179 | पिडावा      | 28    | 28    |
| 180 | अकलेरा      | 14    | 33    |
| 181 | बूंदी       | 69    | 185   |
| 182 | लाखेरी      | 40    | 40    |
| 183 | के0पाटन     | 19    | 19    |
| 184 | नैनवां      | 15    | 15    |
| 185 | कापरेन      | 28    | 28    |
| 186 | इन्द्रगढ    | 5     | 5     |
|     | कुल         | 13025 | 24797 |

- निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण पृथक से विभाग की वेबसाईट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट पर निकाय के रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर ही आवेदन करें क्योंकि नियमानुसार आरक्षण देय है।
- लम्बवत् रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) आधार पर होगा। अर्थात् जिस वर्ग का अभ्यर्थी होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जावेगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

1. आवेदन प्रक्रिया:- विभाग द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) लिये जायेंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र अथवा स्वयं के स्तर से SSO portal के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।

01. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाईन पोर्टल <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस. एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध



Recruitment Portal का चयन करना होगा। On going Recuriment section के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का लिंक आयेगा जिस पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म पर आवेदन करना होगा। यहां यह महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी का One Time Registration होना अनिवार्य है, ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration किया जाना होगा। तत्पश्चात् भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी./जनाधार कार्ड में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

02. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR) की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
03. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए।
04. यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
05. अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित लम्बित Transaction का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
06. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
07. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक (Application Id) आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
08. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
09. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसके दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे चयन प्रक्रिया से पृथक् कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

#### नोट:-

- (क) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (ख) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त भरे आवेदन पत्र का प्रिन्ट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
- (ग) आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के Preview को आवेदन Submit न मानें।



- (घ) कृपया ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन करें।
- (ङ) आवेदक से आवेदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जावेगा। अतः अपना जनाधार कार्ड को 'अपडेट' रखें।

2. **आवेदन शुल्क:-** कार्गिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 8(3)कार्गिक/क-2/2023-04443 जयपुर, दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों से एक बारीय पंजीयन कराने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य सभी भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर बार-बार परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपनी एस.एस.ओ. आई.डी.(sso id) द्वारा लॉगिन करने के बाद One Time Registration ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा:-

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थी | रूपये 600/- |
| 2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी     | रूपये 400/- |
| 3. दिव्यांगजन                   | रूपये 400/- |

नोट:- एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात् विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जावेगा।

3. **अन्य दिशा निर्देश:-**

- (क) जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु विभाग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 09.06.2023 के तहत ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।
- (ख) उक्त पदों हेतु अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 09.06.2023 के अनुसार यथावत रहेंगी।
- (ग) अभ्यर्थी को प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु की तिथि के संबंध में अलग से विभागीय वेबसाइट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> एवं एस.एस.ओ. पोर्टल पर अवगत करवाया जायेगा। अतः कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये विभाग की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।

(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

## राजस्थान सरकार

## स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

(जी.3 राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम जयपुर)

टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-dlb.lsg@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-प.1(ग)( )का/एस.एम.ई-3/डी.एल.बी./स.भर्ती/23/3520

दिनांक:-09/06/2023

## नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या

01/2023

राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 एवं समय-समय पर किये गये संशोधन के अन्तर्गत राज्य की 176 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 13184 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक, निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 20.06.2023 से दिनांक 19.07.2023 तक रात्रि 23:59 बजे तक लिये जावेगे। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध है:-

1. **आवेदन प्रक्रिया:-** विभाग द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) लिये जायेंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र अथवा स्वयं के स्तर से SSO portal के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।
01. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाईन पोर्टल <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। On going Recuriment section के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का लिंक आयेगा जिस पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म पर आवेदन करना होगा। यहां यह महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी का One Time Registration होना अनिवार्य है, ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration किया जाना होगा। तत्पश्चात् भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आई.डी./जनाधार कार्ड में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
02. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR) की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
03. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए।
04. यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
05. अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित लम्बित Transaction का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
06. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
07. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक (Application Id) आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है,



तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।

08. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
09. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसके दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. इस भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार विभाग की वेबसाइट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये विभाग की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।

**नोट:-**

- (क) अभ्यर्थी राज्य की 176 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा, एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- (ख) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (ग) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त भरे आवेदन पत्र का प्रिन्ट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
- (घ) आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) **अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है**, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के Preview को आवेदन Submit न मानें।
- (ङ) कृपया ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन भरें।
- (च) आवेदक से आवेदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जावेगा। अतः अपना जनाधार कार्ड को 'अपडेट' रखें।

**2. आवेदन शुल्क:-** कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 8(3)कार्मिक/क-2/2023-04443 जयपुर, दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों से एक बारीय पंजीयन कराने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य सभी भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर बार-बार परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपनी एस.एस.ओ. आई.डी.(SSO ID) द्वारा लॉगिन करने के बाद One Time Registration ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा:-

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थी | रुपये 600/- |
| 2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी     | रुपये 400/- |
| 3. दिव्यांगजन                   | रुपये 400/- |

**नोट:-** एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात् विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जावेगा।



3. पदों का विवरण:- नगरीय निकायवार कुल रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है जो आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है:-

57

| क्र.सं. | नगरीय निकाय       | सफाई कर्मचारी के पद |
|---------|-------------------|---------------------|
| 1       | जयपुर ग्रेटर      | 3670                |
| 2       | जयपुर हैरिटेज     | 108                 |
| 3       | चौमू              | 46                  |
| 4       | सांभर             | 45                  |
| 5       | चाकसू             | 47                  |
| 6       | कोटपूतली          | 67                  |
| 7       | फुलेरा            | 9                   |
| 8       | जोबनेर            | 57                  |
| 9       | किशनगढ़-रेनवाल    | 30                  |
| 10      | शाहपुरा(जयपुर)    | 14                  |
| 11      | बांदीकुई          | 3                   |
| 12      | बगरू              | 33                  |
| 13      | सीकर              | 107                 |
| 14      | लक्ष्मणगढ़ (सीकर) | 1                   |
| 15      | फतेहपुर           | 5                   |
| 16      | रामगढ़ शेखावाटी   | 10                  |
| 17      | श्रीमाधोपुर       | 9                   |
| 18      | नीमका थाना        | 3                   |
| 19      | खण्डेला           | 27                  |
| 20      | रींगस             | 7                   |
| 21      | झुन्झुनू          | 48                  |
| 22      | नवलगढ़            | 35                  |
| 23      | चिड़ावा           | 42                  |
| 24      | बिसाऊ             | 7                   |
| 25      | मुकुन्दगढ़        | 16                  |
| 26      | सूरजगढ़           | 11                  |
| 27      | पिलानी            | 4                   |
| 28      | खेतड़ी            | 2                   |
| 29      | विद्याविहार       | 15                  |
| 30      | दौसा              | 31                  |
| 31      | लालसोट            | 9                   |
| 32      | अलवर              | 84                  |
| 33      | खेरली             | 12                  |
| 34      | राजगढ़ (अलवर)     | 11                  |
| 35      | खैरथल             | 43                  |

| क्र.सं. | नगरीय निकाय       | सफाई कर्मचारी के पद |
|---------|-------------------|---------------------|
| 36      | तिजारा            | 23                  |
| 37      | बहरोड़            | 4                   |
| 38      | भिवाड़ी           | 130                 |
| 39      | भरतपुर            | 67                  |
| 40      | बयाना             | 47                  |
| 41      | डीग               | 57                  |
| 42      | कामां             | 50                  |
| 43      | नदबई              | 8                   |
| 44      | वैर               | 4                   |
| 45      | कुम्हेर           | 32                  |
| 46      | भुसावर            | 16                  |
| 47      | नगर               | 18                  |
| 48      | धौलपुर            | 251                 |
| 49      | बाड़ी             | 10                  |
| 50      | राजाखेड़ा         | 68                  |
| 51      | सवाईमाधोपुर       | 57                  |
| 52      | गंगापुरसिटी       | 315                 |
| 53      | करौली             | 38                  |
| 54      | हिण्डौनसिटी       | 307                 |
| 55      | टोड़ाभीम          | 1                   |
| 56      | अजमेर             | 328                 |
| 57      | ब्यावर            | 177                 |
| 58      | किशनगढ़           | 81                  |
| 59      | केकड़ी            | 64                  |
| 60      | पुष्कर            | 68                  |
| 61      | सरवाड़            | 16                  |
| 62      | विजयनगर           | 70                  |
| 63      | टोंक              | 130                 |
| 64      | निवाई             | 31                  |
| 65      | मालपुरा           | 8                   |
| 66      | देवली             | 17                  |
| 67      | टोड़ारायसिंह      | 13                  |
| 68      | उनियारा           | 3                   |
| 69      | भीलवाड़ा          | 148                 |
| 70      | शाहपुरा(भीलवाड़ा) | 37                  |
| 71      | गंगापुर           | 6                   |

(58)

| क्र.सं. | नगरीय निकाय   | सफाई कर्मचारी के पद |
|---------|---------------|---------------------|
| 72      | जहाजपुर       | 6                   |
| 73      | आसीन्द        | 11                  |
| 74      | गुलाबपुरा     | 17                  |
| 75      | माण्डलगढ      | 21                  |
| 76      | लाडनूं        | 28                  |
| 77      | मेड़तासिटी    | 68                  |
| 78      | मकराना        | 53                  |
| 79      | कुचामनसिटी    | 24                  |
| 80      | डीडवाना       | 16                  |
| 81      | परबतसर        | 25                  |
| 82      | नांवा         | 18                  |
| 83      | कुचेरा        | 14                  |
| 84      | उदयपुर        | 407                 |
| 85      | फतहनगर        | 12                  |
| 86      | भीण्डर        | 14                  |
| 87      | कानोड़        | 21                  |
| 88      | सलूम्बर       | 11                  |
| 89      | राजसमन्द      | 50                  |
| 90      | नाथद्वारा     | 38                  |
| 91      | आमेट          | 1                   |
| 92      | देवगढ़        | 18                  |
| 93      | बांसवाड़ा     | 89                  |
| 94      | कुशलगढ़       | 20                  |
| 95      | डूंगरपुर      | 36                  |
| 96      | सागवाड़ा      | 13                  |
| 97      | चित्तौड़गढ़   | 156                 |
| 98      | निम्बाहेड़ा   | 104                 |
| 99      | बड़ी सादड़ी   | 24                  |
| 100     | कपासन         | 24                  |
| 101     | बेंगू         | 21                  |
| 102     | प्रतापगढ़     | 44                  |
| 103     | छोटी सादड़ी   | 17                  |
| 104     | जोधपुर उत्तर  | 239                 |
| 105     | जोधपुर दक्षिण | 389                 |
| 106     | फलौदी         | 70                  |
| 107     | पीपाड़शहर     | 47                  |
| 108     | बिलाड़ा       | 222                 |



| क्र.सं. | नगरीय निकाय   | सफाई कर्मचारी के पद |
|---------|---------------|---------------------|
| 109     | जैसलमेर       | 42                  |
| 110     | पोकरण         | 87                  |
| 111     | सिरोही        | 54                  |
| 112     | आबूपर्वत      | 34                  |
| 113     | आबूरोड़       | 47                  |
| 114     | शिवगंज        | 3                   |
| 115     | पिण्डवाड़ा    | 23                  |
| 116     | पाली          | 296                 |
| 117     | सोजतसिटी      | 104                 |
| 118     | सादड़ी        | 13                  |
| 119     | बाली          | 17                  |
| 120     | तख्तगढ़       | 32                  |
| 121     | सुमेरपुर      | 87                  |
| 122     | जैतारण        | 64                  |
| 123     | खुड़ाला फालना | 4                   |
| 124     | रानी          | 52                  |
| 125     | जालौर         | 98                  |
| 126     | सांचौर        | 78                  |
| 127     | भीनमाल        | 26                  |
| 128     | बाड़मेर       | 140                 |
| 129     | बालोतरा       | 85                  |
| 130     | बीकानेर       | 121                 |
| 131     | देशनोक        | 46                  |
| 132     | नोखा          | 102                 |
| 133     | डूंगरगढ़      | 129                 |
| 134     | श्रीगंगानगर   | 95                  |
| 135     | रायसिंहनगर    | 13                  |
| 136     | गजसिंहपुर     | 9                   |
| 137     | श्रीकरणपुर    | 30                  |
| 138     | अनूपगढ़       | 80                  |
| 139     | सादुलशहर      | 11                  |
| 140     | सूरतगढ़       | 94                  |
| 141     | पदमपुर        | 21                  |
| 142     | केसरीसिंहपुर  | 5                   |
| 143     | हनुमानगढ़     | 116                 |
| 144     | नोहर          | 11                  |
| 145     | पीलीबंगा      | 39                  |

| क्र.सं. | नगरीय निकाय  | सफाई कर्मचारी के पद |
|---------|--------------|---------------------|
| 146     | भादरा        | 39                  |
| 147     | संगरिया      | 47                  |
| 148     | रावतसर       | 60                  |
| 149     | चूरु         | 20                  |
| 150     | रतनगढ़       | 25                  |
| 151     | सुजानगढ़     | 143                 |
| 152     | सरदारशहर     | 45                  |
| 153     | राजगढ़(चुरु) | 65                  |
| 154     | छापर         | 16                  |
| 155     | बीदासर       | 32                  |
| 156     | राजलदेसर     | 10                  |
| 157     | तारानगर      | 18                  |
| 158     | रतननगर       | 12                  |
| 159     | कोटा दक्षिण  | 160                 |
| 160     | कैथून        | 24                  |
| 161     | सांगोद       | 24                  |
| 162     | रामगंजमण्डी  | 21                  |
| 163     | छबड़ा        | 17                  |
| 164     | मांगरोल      | 19                  |
| 165     | अन्ता        | 3                   |
| 166     | झालावाड़     | 68                  |
| 167     | भवानीमण्डी   | 24                  |
| 168     | झालरापाटन    | 10                  |
| 169     | पिड़ावा      | 28                  |
| 170     | अकलेरा       | 14                  |
| 171     | बूंदी        | 69                  |
| 172     | लाखेरी       | 40                  |
| 173     | केशवरायपाटन  | 19                  |
| 174     | नैनवां       | 15                  |
| 175     | कापरेन       | 28                  |
| 176     | इन्द्रगढ़    | 5                   |
|         | कुल पद       | 13184               |

नोट:-

- निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण पृथक से विभाग की वेबसाइट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर निकाय के रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर ही आवेदन करें क्योंकि नियमानुसार आरक्षण देय है।



- लम्बवत् रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) आधार पर होगा। अर्थात् जिस वर्ग का अभ्यर्थी होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जावेगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

#### विशेष सूचना:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वी तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।

2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

#### स्पष्टीकरण:-

किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

4. महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की



परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इस प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद सक्षम सिविल न्यायालय की डिक्री प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण/न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

5. अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
9. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांरा जिले में सहरिया जाति के लिए राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
10. **भूतपूर्वक सैनिकों हेतु:** कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्त को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर

पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

11. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:**—उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

**उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान:-**

कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (31) डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने:-

1. निम्न सारणी के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:

| क्र.सं. | अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था                                          | टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                   | 3                                                                  |
| 1       | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई. ओ.सी.)                           | ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)                                       |
| 2       | एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)                                       | एशियन गेम्स                                                        |
| 3       | दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)                             | दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्य सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं। |
| 4       | राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ)                                  | राष्ट्रमण्डल गेम्स                                                 |
| 5       | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक परिषद से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ | विश्व कप / विश्व चैंपियनशिप                                        |
| 6       | एशिया ओलम्पिक परिषद से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ           | एशियन चैंपियनशिप                                                   |
| 7       | अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)                     | अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप                           |



|   |                                       |                                   |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 8 | एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस. एस.एफ.) | एशियन स्कूल गेम्स /<br>चैंपियनशिप |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस. एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो:

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो:

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो:

नोट:-

कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करे जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण-पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण-पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

#### 4. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए:-

- a) राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण लाभ देय है:-

(अ) दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि।

(ब) श्रवण बाधित।

(स) सेरेब्रेल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मासपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन निःशक्तता।

(द) 1. ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता।

2. बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रेड अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का

हास एवं दृष्टि बाधित सहित।

- b) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

- c) उपरोक्त दर्शाये गये विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिय पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा। जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

- d) विशेष योग्यजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेषयोग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करे।

- e) ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन होने के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण-पत्र



(Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण-पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पदों के लिये पात्र माना जाएगा।

#### 5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश:-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर राजस्थान नगरपालिका (सफाई सेवा), नियम 2012 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescind) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु,पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं अनुभव संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

#### 6. अर्हताएं:-

1. आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता:-अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केन्द्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केन्द्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

7. चरित्र प्रमाण:-अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगरपालिका के अध्यक्ष या विधानसभा/परिषद के सदस्य या संसद सदस्य, जो उसका संबंधी नहीं हो, से दो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, जो कि छः माह की अवधि में जारी किया गया हो।

8. **वेतनमान:-**राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-1 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा।

9. **राष्ट्रीयता:-**

- (क) भारत का नागरिक हो, या  
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या  
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या  
(घ) ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या  
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट:- परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. **आयु सीमा:-**सफाई कर्मचारी पद हेतु दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

नोट:-अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को, जो राजस्थान के मूल निवासी है।                                                                                                                                                                                                                                                | 5 वर्ष  |
| 2. | सामान्य वर्ग की महिला, जो राजस्थान के मूल निवासी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 वर्ष  |
| 3. | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के मूल निवासी है।                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 वर्ष |
| 4. | विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए।<br>स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। |         |
| 5. | उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार(Substantive)पर सेवा की हो और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।                                                                                                                                                                                        |         |
| 6. | ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।                                                                                                                                                                          |         |
| 7. | इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।                                                                                                         |         |
| 8. | कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।                                                                                                                           |         |
| 9. | निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों,                                                                                                                                                                                                                            |         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में Substantive हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेदन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेदन) नियम, 1988 यथा संशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। |

नोट:-

- (1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  - (2) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
  - (3) राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - (4) अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।
11. चयन प्रक्रिया:-नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर योग्यता/अनुभव परीक्षण के आधार पर किया जावेगा। जिसमें चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों की योग्यता/अनुभव का परीक्षण प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा मौके पर सफाई संबंधित कार्य यथा रोड़ स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर किया जायेगा। भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- (क) चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परम्परागत रूप से सफाई कार्य करने वाले यथा वाल्मीकी/हैला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
  - (ख) अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ चयन समिति के समक्ष उपस्थित होंगे:-



- आयु संबंधित प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।
- आवेदक के जनाधार कार्ड की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।
- आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की मूल की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।
- साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय, केन्द्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केन्द्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक/प्लेसमेन्ट एजेन्सियों को जारी किया गया कार्यदेश की 02 सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा।
- दो चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति। (जो छः माह की अवधि में जारी किया हो)
- राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।
- विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।
- विधवा होने की दशा में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा होने की दशा में विच्छिन्न विवाह/तलाक की डिक्री की प्रमाण पत्र की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।
- आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्रों की 02 सत्यापित प्रतिलिपि।

**नोट:-** निर्धारित साक्षात्कार के समय वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदक का साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा तथा साक्षात्कार का अन्य कोई मौका नहीं दिया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

12. **पेंशन:-** नवनियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन देय है।
13. **विवाह पंजीयन:-** शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
14. **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-**

- ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2023 से दिनांक 19.07.2023 को रात्रि 23.59 बजे तक विभाग की वेबसाइट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।
- आवेदक के समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य हैं, ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक के पश्चात् का प्रमाणपत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

#### 15. **नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-**

- (i) आवेदक अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे सभी आवेदन पत्र निरस्त माने जावेंगे।

(ii) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।

(iii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

**16. आवेदन कैसे करें :- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।**

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & Email के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के संबंध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. चयन समिति द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं के आधार पर ही पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
5. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थीगण का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।



6. संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा एवं विस्तृत विज्ञापन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा, इसके अध्ययन के उपरान्त ही अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरा जावे।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पश्चात् परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता (तलाकशुदा) आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता (तलाकशुदा) श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. (आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
9. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

**फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**

1. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करना चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो मान्य नहीं होगा।
3. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
4. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
5. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
6. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
7. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
8. फोटो जेपीजी/जेपीईजी/(JPG/JPEG) प्रारूप में होना चाहिए।
9. फाइल का आकार 50KB से 100KB होना चाहिए।

**हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश:-**

10. आवेदक एक सफेद कागज (A4 Size) पर 7 सेमी उँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पैन से हस्ताक्षर करे।
11. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
12. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद ईमेज कर स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्राप करने के पश्चात अपलोड करें।



13. केवल जेपीजी/जेपीईजी/ (JPG/JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
14. हस्ताक्षर का आकार 20KB से 50KB होना चाहिए।
15. मोबाईल फोन द्वारा लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**17. दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्रों के लिए दिशा -निर्देश :-**

1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हो।
  2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए को अपलोड करें।
  3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
  4. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
  5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
  6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate हो।
  7. अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केन्द्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केन्द्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो।
18. अन्य दिशा निर्देश:- अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तिथि के संबंध में अलग से विभागीय वेबसाइट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> एवं एस.एस.ओ. पोर्टल पर अवगत करवाया जायेगा। अतः कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये विभाग की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।

(हृदेश/कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव